न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 68/2007

रामगोपाल पुत्र रामनारायण जाति कोली निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. चाहन्या बाई पत्नि रामकिशन जाति कोली निवासी बमोरीकलां
2. जगन्नाथ मुतबन्ना धन्ना जाति कोली निवासी बमोरीकलां
3. रामनारायण पुत्र रामनाथ जाति कोली निवासी बमोरीकलां हाल जारेला
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संशोधित दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरिओम प्रजापति
दायरा दिनांकः 01.03.2017 निर्णय दिनांक : 23.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बमोरीकलां के हाल खसरा नं0 268 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 1809 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 1810 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 1813 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1815 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 1854 रकबा 1.83 है0, खसरा नं0 1855 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 1856 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1857 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 1858 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1874 रकबा 0.52 है0, कुल किता 11 रकबा 8.10 है0 भूमि स्थित है उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 2 का हिस्सा 19/50 तथा मथुरा पुत्र भैरू का हिस्सा 6/25 तथा प्रतिवादी नं0 3 का हिस्सा 19/50 उक्त वाद में केवल मथुरा पुत्र भैरू का हिस्सा 6/25 ही वाद ग्रस्त भूमियां है। मथुरा पुत्र भैरू की मृत्यु उपरान्त हिस्सा 6/25 प्रतिवादी नं0 1 के नाम दौराने वाद दर्ज हो गया है। जबकि चाहन्या बाई उक्त भूमियों से कोई लेना देना नही है। मथुरा लाऔलाद था। मथुरा ने वादी के पक्ष में एक वसिय नामा लिख कर दिया था इसलिए उक्त वाद में ग्राम बमोरीकलां में स्थित भूमि 6/25 पर प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 1 चाहन्या बाई मथुरा के जीवनकाल में मथुरा को छोडकर उसने रामकिशन निवासी बमोरीकलां से नाता प्रथा से विवाह करीब 20 वर्ष पूर्व कर लिया था। इसलिए मथुरा ने अपने जीवन काल में ही रामगोपाल के नाम 100 रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 29.04.2004 को गवाह मांगीलाल पुत्र रघुनाथ मीना निवासी जारेला व लटूरलाल पुत्र मांगीलाल दत्तक पुत्र बिरधीलाल जाति कुम्हार के समक्ष छोटूलाल वर्मा डीड राईटर मांगराल से लिखवा दी थी। पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

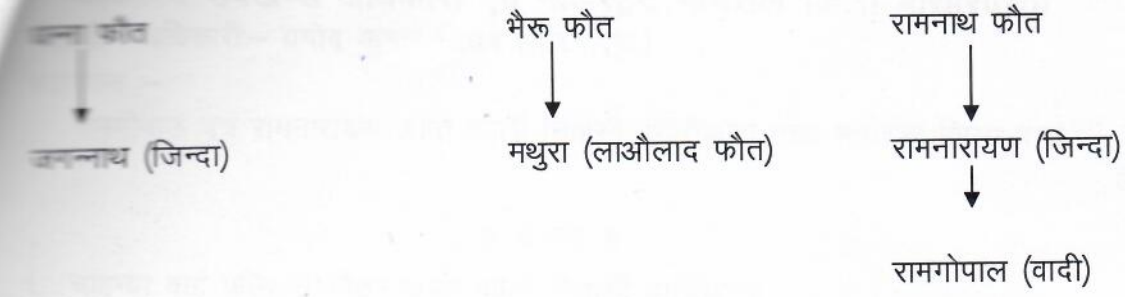

चन्ना फौत भैरू फौत रामनाथ फौत

↓ ↓ ↓

जगन्नाथ (जिन्दा) मथुरा (लाऔलाद फौत) रामनारायण (जिन्दा)

↓

रामगोपाल (वादी)

मथुरा की मृत्यु दिनांक 01.05.2004 को ग्राम जारेला की टापरियां में वादी के यहां हो गई तथा मथुरा का समस्त अंतिम कियाकर्म भी वादी ने ही किया है। मथुरा के मृत्यु के उपरान्त मथुरा के हिस्से की भूमियां मुताबिक वसीयतनामा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहियें जिसका वादी अधिकारी भी है। अतः वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि हिस्सा 6/25 मथुरा ग्राम बमोरीकलां में स्थित मुताबिक वसीयत नामा वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जावें। वादग्रस्त भूमि में स्थित चाहन्या बाई के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें ना ही रहन बेचान करें। तथा प्रतिवादी नं0 4 को पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का रजिस्ट्रेशन नही कर अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करें यथा स्थिति बनाये रखे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.03.2017 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1, 2, 3 व 4 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। बावजूद सूचना के प्रतिवादी कम 1 ता 4 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीकम 1 ता 4 को एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण पूर्व में अधहम पैरवी व अधहम हाजरी में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा खारिज किया जा चुका है, एवं प्रकरण में दिनांक 15.06.2016 को वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा बहस की जा चुकी है बहस में वकील वादी ने निम्न तथ्य प्रस्तुत कियेः—

01. भैरू का पुत्र मथुरा लाऔलाद
02. मथुरा ने रामगोपाल को वसीयत नामा लिखा जो प्रदर्श 3 के अनुसार दिनांक 29.04.2004 को अपंजीकृत लिखा गया
03. पीडल्ब्यु 1 व पीडल्ब्यु 2 के बयान कराये गये।
04. मथुरा की पत्नी चाहन्या बाई थी किन्तु मथुरा के जिवित रहते ही रामकिशन नि0 बमोरीकलां में शादी कर ली।
05. चाहन्या बाई मृतक है।

अखबार सूचना दी गई।

वकील प्रतिवादीगण ने निम्न तथ्य कथन किये:–

मुताबिक वसीयत मथुरा की जमीन रामगोपाल के नाम दर्ज की जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। मथुरा पुत्र भैरू द्वारा अपने जीवन काल में रामगोपाल के नाम 100 रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 29.04.2004 को गवाह मांगीलाल पुत्र रघुनाथ मीना निवासी जारेला व लटूरलाल पुत्र मांगीलाल दत्तक पुत्र बिरधीलाल जाति कुम्हार के समक्ष छोटूलाल वर्मा डीड राईटर मांगराल से जो वसीयत नामा लिखवाया गया था उसी वैधता वसीयत नामा में दर्ज गवाहान द्वारा सिद्ध की गयी है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस पर मनन करने के बाद वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बमोरीकलां के हाल खसरा नं0 268 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 1809 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 1810 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 1813 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1815 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 1854 रकबा 1.83 है0, खसरा नं0 1855 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 1856 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1857 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 1858 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1874 रकबा 0.52 है0, कुल किता 11 रकबा 8.10 है0 भूमि स्थित है उक्त भूमि में मथुरा पुत्र भैरू का हिस्सा 6/25 पर दर्ज चाहन्या बाई के स्थान पर वसीयतनामा के अनुसार रामगोपाल पुत्र रामनारायण जाति कोली निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादी नं0 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त काश्त की आराजी में दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।